कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–बस्तर,जगदलपुर (छ.ग.)

email: deo.jdp@gmail.com, Fax & Phone – 07782-222286

क्रमांक / 12581 / शिकायत / निलंबन / 2025 जगदलपुर,दिनांक 28 / 11 / 2025

–::आदेश::–

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बकावण्ड, जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक / 487 / अ0वि0अ0 / रीडर–2 / 2025 बकावण्ड, दिनांक 28 / 11 / 2025 द्वारा की गई अनुशंसा के तहत श्री स्वतंत्र अवस्थी, (बी0एल0ओ0) प्रधानपाठक प्राथमिक शाला–खामेश्वरीपारा (राजनगर) विकासखण्ड – बकावण्ड, जिला–बस्तर छ0ग0 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (**S.D.M.**) –बकावण्ड के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शराब पीकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करना मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीना प्रमाणित पाया गया है।

शासकीय मतदाता डिजिटाइज्ड जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के दौरान शराब के नशे में उपस्थित रहने संबंधी गंभीर शिकायत के आधार पर संबंधित श्री स्वतंत्र अवस्थी, (बी0एल0ओ0) प्रधानपाठक प्राथमिक शाला–खामेश्वरीपारा (राजनगर) विकासखण्ड – बकावण्ड, जिला–बस्तर छ0ग0 को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उपनियम (I,II,III,) के उल्लंघन का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड–दरभा होगा। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बस्तर जगदलपुर

पृ0क्रमांक / 12590 / शिकायत / निलंबन / 2025 जगदलपुर,दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रतिलिपि:–

1– संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2– कलेक्टर, जिला–बस्तर, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला–पंचायत,जिला–बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4– संयुक्त संचालक,शिक्षा संभाग–बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5– अनुविभागीय अधिकारी (**S.D.M.**) –बकावण्ड को सूचनार्थ संम्प्रेषित।

6– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी–बकावण्ड, जिला–बस्तर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7– श्री स्वतंत्र अवस्थी, (बी0एल0ओ0) ''प्रधानपाठक'' प्राथमिक शाला– खामेश्वरीपारा (राजनगर) विकासखण्ड–बकावण्ड,जिला– बस्तर छ0ग0 को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बस्तर जगदलपुर